



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 74-2020/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, JUNE 1, 2020 (JYAISTHA 11, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

आदेश

दिनांक 1 जून, 2020

क्रमांक 4/85/2019-3क1.- उपायुक्त, महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल को श्री अनिल कुमार पुत्र श्री रोशन लाल ने शिकायत की उक्त शिकायत पर उपायुक्त महोदय ने उनके पत्र क्रमांक 1519/एलएफए दिनांक 26.8.2019 द्वारा सचिव नगरपालिका, अटेली से रिपोर्ट मांगी गई। दिनांक 26.8.2019 को सचिव नगरपालिका, अटेली मण्डी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बिन्दुवाईज सूचित किया:-

बिन्दु नं. 1 दिनांक 14.6.2018 को प्रातः 11 बजे उपायुक्त महोदय, महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल के पत्र दिनांक 31.5.2018 के दृष्टिगत श्री जगदीश शर्मा उपमण्डल अधिकारी (ना0) नारनौल व कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका अटेली मण्डी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय के यादि क्रमांक दिनांक 31.5.2018 के द्वारा एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें सभी निर्वाचित 11 सदस्यों को शपथ दिलाई थी तथा निर्वाचित सदस्यों में से प्रधान व उप-प्रधान का चुनाव किया गया था परन्तु दिनांक 14.6.2018 को प्रातः 11 बजे से सांय 2 बजे तक कोई भी निर्वाचित सदस्य उपस्थित नहीं हुए तथा ना ही श्रीमान उपमण्डल अधिकारी, (ना0) नारनौल जिनकी अध्यक्षता में बैठक होनी थी नगरपालिका अटेली मण्डी के कार्यालय में उपस्थित हुए। सांय 2:00 बजे उपायुक्त कार्यालय नारनौल से दूरभाष से सम्पर्क करने पर पता चला कि उप मण्डल अधिकारी (ना0) नारनौल आकस्मिक अवकाश पर है। अतः अध्यक्ष महोदय एवं सभी निर्वाचित सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण दिनांक 14.6.2018 को होने वाली विशेष बैठक स्थगित करनी पड़ी।

बिन्दु नं. 2 दिनांक 22.6.2018 को प्रातः 11 बजे उपायुक्त महोदय, महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल के पत्र क्रमांक दिनांक 31.5.2018 के दृष्टिगत श्री जगदीश शर्मा उपमण्डल अधिकारी (ना0) नारनौल व कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका अटेली मण्डी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय के यादि क्रमांक 1582-95/स्टेनो दिनांक 19.6.2018 के द्वारा सभी निर्वाचित 11 सदस्यों को शपथ दिलवाने के लिए एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी निर्वाचित सदस्य उपस्थित हुए तथा भारत एवं भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा बारे शपथ दिलाई गई। इसके बाद धन्यवाद सहित बैठक का समापन किया गया।

बिन्दु नं. 3 दिनांक 23.7.2018 को प्रातः 12 बजे उपायुक्त महोदय, महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल के पत्र क्रमांक दिनांक 31.5.2018 के दृष्टिगत श्री जगदीश शर्मा उपमण्डल अधिकारी (ना0) नारनौल व कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका अटेली मण्डी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय के यादि क्रमांक दिनांक 16.7.2018 के द्वारा सभी निर्वाचित 11 सदस्यों में से प्रधान व उप-प्रधान का चुनाव करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। दोपहर 12 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय बैठक की अध्यक्षता के लिए उपस्थित हुए।

अनुपस्थित निर्वाचित सदस्य

श्री अश्वनी कुमार वार्ड नं. 3

श्री संजय कुमार वार्ड नं. 4

श्री अजय कुमार वार्ड नं. 7

श्री जितेन्द्र वार्ड नं. 8

श्री सुनीता देवी वार्ड नं. 9

इस प्रकार सभी 11 निर्वाचित सदस्य व विधायक, सांसद कुल मिलाकर 13 सदस्य बनते हैं। कुल 13 सदस्यों को मताधिकार है में से 1/2 भाग यानि 7 सदस्यों की कोरम के लिए आवश्यकता होती है। अतः कोरम के अभाव में यह बैठक स्थगित की गई।

बिन्दु नं. 4 दिनांक 15.9.2018 को प्रातः 11 बजे उपायुक्त महोदया, महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल के पत्र क्रमांक दिनांक 31.5.2018 के दृष्टिगत श्री जगदीश शर्मा उपमण्डल अधिकारी (ना0) नारनौल व कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका अटेली मण्डी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय के यादि क्रमांक दिनांक 12.9.2018 की अनुपालना में नगरपालिका अटेली मण्डी के प्रधान व उप-प्रधान के चुनाव के लिए एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय प्रातः 11 बजे नगरपालिका कार्यालय अटेली मण्डी में उपस्थित हुए। दोपहर बाद 12:45 बजे तक बार-2 आवज लगाने के उपरांत कोई भी निर्वाचित सदस्य विधायक व सांसद जिनको चुनाव में वोट डालने का अधिकार है, बैठक में हाजिर नहीं आये। कोई भी हाजिर ना होने कारण प्रधान व उप-प्रधान के चुनाव बारे मीटिंग आगामी तिथि के लिए स्थगित करनी पड़ी।

बिन्दु नं. 5 दिनांक 03.10.2018 को प्रातः 11 बजे उपायुक्त महोदया, महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल के पत्र क्रमांक दिनांक 31.5.2018 के दृष्टिगत श्री जगदीश शर्मा उपमण्डल अधिकारी (ना0) नारनौल व कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका अटेली मण्डी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय के यादि क्रमांक दिनांक 28.09.2018 की अनुपालना में नगरपालिका अटेली मण्डी के प्रधान व उप-प्रधान के चुनाव के लिए एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। सभी निर्वाचित 11 सदस्य, विधायक व सांसद महोदय मीटिंग में उपस्थित नहीं हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय भी मीटिंग में उपस्थित नहीं हुए। मोबाईल पर सम्पर्क किया तो पता चला कि अध्यक्ष महोदय छुट्टी पर हैं। जिस कारण मीटिंग को आगामी आदेशों के लिए स्थगित करना पड़ा।

बिन्दु नं. 6 दिनांक 02.11.2018 को प्रातः 11 बजे उपायुक्त महोदया, महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल के पत्र क्रमांक दिनांक 31.5.2018 के दृष्टिगत श्री जगदीश शर्मा उपमण्डल अधिकारी (ना0) नारनौल व कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका अटेली मण्डी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय के यादि क्रमांक दिनांक 30.10.2018 की अनुपालना में नगरपालिका अटेली मण्डी के प्रधान व उप-प्रधान के चुनाव के लिए एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। अध्यक्ष महोदय प्रातः 11 बजे नगरपालिका कार्यालय अटेली मण्डी में उपस्थित हुए। प्रातः 11 बजे सांय 02:10 बजे तक इंतजार करने के बाद कोई भी निर्वाचित सदस्य, विधायक व सांसद नगरपालिका कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः इनकी अनुपस्थिति के कारण बैठक आगामी तिथि के लिए स्थगित की गई।

बिन्दु नं. 7 दिनांक 12.12.2018 को प्रातः 11 बजे उपायुक्त महोदया, महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल के पत्र क्रमांक दिनांक 31.5.2018 के दृष्टिगत श्री जगदीश शर्मा उपमण्डल अधिकारी (ना0) नारनौल व कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका अटेली मण्डी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय के यादि क्रमांक दिनांक 07.12.2018 की अनुपालना में नगरपालिका अटेली मण्डी के प्रधान व उप-प्रधान के चुनाव के लिए एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। प्रातः 10:50 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय नगरपालिका कार्यालय अटेली मण्डी में बैठक के लिए उपस्थित हुए।

अनुपस्थित निर्वाचित सदस्य

श्री अश्वनी कुमार वार्ड नं. 3

श्री संजय कुमार वार्ड नं. 4

श्री अजय कुमार वार्ड नं. 7

श्री जितेन्द्र वार्ड नं. 8

श्रीमति सुनीता देवी वार्ड नं. 9

इस प्रकार सभी 11 निर्वाचित सदस्य व विधायक, सांसद कुल मिलाकर 13 सदस्य बनते हैं। कुल 13 सदस्यों को मताधिकार है में से 1/2 भाग यानि 7 सदस्यों की कोरम के लिए आवश्यकता होती है। अतः कोरम के अभाव में दिनांक 12.12.2018 को होने वाली बैठक स्थगित करनी पड़ी।

बिन्दु नं. 8 दिनांक 12.01.2019 को प्रातः 11 बजे उपायुक्त महोदया, महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल के पत्र क्रमांक दिनांक 31.5.2018 के दृष्टिगत श्री जगदीश शर्मा उपमण्डल अधिकारी (ना0) नारनौल व कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका अटेली मण्डी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय के यादि क्रमांक दिनांक 09.01.2019 की अनुपालना में नगरपालिका अटेली मण्डी के प्रधान व उप-प्रधान के चुनाव के लिए एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय प्रातः 10:55 बजे नगरपालिका कार्यालय अटेली मण्डी में उपस्थित हुए। दोपहर बाद 01:30 बजे तक इंतजार करने उपरांत कोई भी निर्वाचित सदस्य, विधायक व सांसद जिनको चुनाव में वोट डालने का अधिकार है, बैठक में हाजिर नहीं हुए। कोई भी हाजिर ना होने के कारण प्रधान व उप-प्रधान के चुनाव बारे मीटिंग आगामी तिथि के लिए स्थगित करनी पड़ी।

अनुपस्थित निर्वाचित सदस्य

श्री अश्वनी कुमार वार्ड नं. 3

श्री संजय कुमार वार्ड नं. 4

श्री अजय कुमार वार्ड नं. 7

श्री जितेन्द्र वार्ड नं. 8

श्रीमति सुनीता देवी वार्ड नं. 9

महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने अपने पत्र दिनांक 24.10.2019 द्वारा सूचित किया कि श्री अनिल कुमार ने याचिका संख्या 13795 ऑफ 2019 दायर करते हुए नगरपालिका अटेली मण्डी के 5 निर्वाचित पार्षदों द्वारा शपथ लेने उपरांत प्रधान व उप-प्रधान के पद के चुनाव कराने हेतु पालिका सदन की बैठक में भाग न लेने के एवज में उनके विरुद्ध हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 की धारा 14 सी की व्यवस्था अनुसार उनकी सदस्यता भंग की जाए। इसी के आधार पर उपायुक्त महेन्द्रगढ़ को नियमित जांच करने हेतु दिनांक 30.12.2019 द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 20.2.2020 को प्रस्तुत की। जिसमें अनुपस्थित पार्षदों ने अनुरोध किया कि उपायुक्त महोदया ने सरकार के पत्र दिनांक 30.12.2019 अनुसार जांच नहीं की। इसके बाद दिनांक 26.8.2019 को सचिव द्वारा मीटिंग से सम्बन्धित सूचना दी गई वह बिल्कुल गलत थी। जांच रिपोर्ट अनुसार श्री अश्वनी कुमार वार्ड नं. 3, श्री संजय कुमार वार्ड नं. 4, श्री अजय कुमार वार्ड नं. 7, श्री जितेन्द्र वार्ड नं. 8, श्री सुनीता देवी वार्ड नं. 9 अनुसार मीटिंग में अनुपस्थित पाए गए।

सक्षम अथारिटी ने जांच रिपोर्ट तथा तथ्य के आधार पर हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 की धारा 14 सी के अनुसार पार्षद पद से सर्व श्री/श्रीमति अश्वनी कुमार वार्ड नं. 3, संजय कुमार वार्ड नं. 4, अजय कुमार वार्ड नं. 7, जितेन्द्र वार्ड नं. 8, सुनीता देवी वार्ड नं. 9 को हटाने का निर्णय लिया है।

चण्डीगढ़:

दिनांक 22 मई, 2020.

एस० एन० राय,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।